

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मई 2020—ज्येष्ठ 7, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

अधि. क्र. 97-एफ 1-15-2020-अठारह-3.—कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला देवास द्वारा नगरपालिक निगम, देवास के वार्डों के विस्तार के संबंध में सीमावृद्धि के साथ अधिसूचना क्रमांक 593-डूडा-2019, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु भेजी गई थी. जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45, दिनांक 5 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई हैं.

अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरपालिक निगम देवास, जिला देवास के वार्ड विस्तार करने के संबंध में अधिसूचना क्रमांक 593-डूडा-2019, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45, दिनांक 5 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई हैं को निरस्त करता है.

प्रकाश जांगरे, सचिव.